राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

कमांक :– प.14(4)वित्त/नियम/2017 **जयपुर, दिनांकः– 20 NOV 2017**

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
जयपुर

विषय :– **वेतनमान विसंगति निवारण समिति के कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के प्रभावी होने के उपरान्त श्री डी.सी.सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वेंतन विसंगति निवारण समिति गठित की गई है। उक्त समिति को प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने बाबत विज्ञप्ति संलग्न कर अनुरोध है कि कृपया इसे दिनांक 21.11.2017 के राज्य से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय वेतन विसंगति निवारण समिति
"सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ
जयपुर

क्रमांकः प. 14(4) वित्त/नियम/2017

जयपुर, दिनांकः 20 NOV 2017

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 को जारी किये जा चुके हैं। उक्त पुनरीक्षण के प्रभावी होने के उपरान्त प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापनों का परीक्षण किये जाने हेतु श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :–

1. श्री डी.के.मित्तल – सदस्य
2. श्री एम.पी.दीक्षित – सदस्य
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) – सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से वेतनमान विसंगति के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों का परीक्षण कर राज्य सरकार को सिफारिश प्रेषित की जानी है। समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस समिति के समक्ष वेतन विसंगतियों से संबधित प्रतिवेदन कर्मचारी संघों/कर्मचारी द्वारा किसी भी कार्य दिवस में कमरा नं. 203–ए, "सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर में कार्यालय कार्य समय में निम्न प्रोफार्मा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। दिनांक 29.12.2017 तक प्राप्त अभ्यावेदन ही विचारणीय होंगे।

1. प्रतिवेदनदाता का नाम :
2. सेवा/पद, जिससे सम्बन्धित है/प्रतिनिधित्व करते हैं :
3. (अ) पता :

   (ब) दूरभाष : मोबाइलः
4. सेवा/पद में चयन का तरीकाः RPSC/अधीनस्थ व मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड/विभाग के माध्यम से /पदोन्नति या अन्य :
5. वेतन विसंगति संबंधित प्रतिवेदन (संलग्न करें)
6. अन्य कोई दस्तावेज : (संलग्न करें)

हस्ताक्षर

(नाम)......................

समिति कार्यालय
दूरभाष नं. 0141–2742773

सदस्य सचिव,
वेतन विसंगति निवारण समिति